

Bare Acts & Rules

Free Downloadable Formats

Hello Good People!





झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाल, 1923 शकान्द

संस्था 76

रांची, सोमवार, 30 पत्रील, 2001

बिधि (विधान) विभाग।

धिधसूचना

28 व्यप्रीन, 2001

संस्था एच॰जी-05/2001 लेज: 05--- भारखण्ड विधान मंडल का निम्निश्चित प्रधिनियम, जिस पर राज्यपास 20 धप्रीस, 2001 को जनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसावारण की सूचना के खिए प्रकाशित किया जाता है

> रामायण पाण्डे, सचिव, विधि (विधान) विभाग, फ्रारसण्ड, रांची ।

[कारखण्ड घिनियम 03, 2001] कारखण्ड विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता श्रीर पेंशन) घिषिनयम, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में भारलण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह धर्धिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्म:---
 - (i) पह विधितियम फारखण्ड विधान-मण्डल (सबस्यों का बेतन, भत्ता धीर चेंग्रन) धविनिषम, 2001 कहा जा सकेगा।
 - (ii) इसका विस्तार संस्पूर्ण कारखण्ड राज्य में होगा।
 - (iii) यह तुरत्त प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएँ:- इस अधिनियम में जब तक कि विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो:-

- (ख) "मृक्य सचेतक", "उप मृक्य सचेतक" ग्रीर "सचेतक" से प्रमिन्नेत है सत्तारूढ़ दल, जो सरकार गठित करे, द्वारा मृक्य सचेतक, उप मृक्य सचेतक एवं सचेतक के रूप में नियुक्त कोई सदस्य भीर मान्यता प्राप्त मृक्य विपक्षी दल द्वारा मान्यता प्राप्त मृक्य सचेतक भीर सचेतक।
- (ग) "संसदीय सचिव" से धभित्रत है राज्यपाल द्वारा संसदीय सचिव के कप में नियुक्त कोई सदस्य।
- (घ) विधानसभा की समिति से अभिन्नेत है विघानसभा द्वारा मथवा प्रव्यक्ष द्वारा उनके सदस्यों से बनी समिति।
- (ङ) ''विधानसभा का प्रधिवेशन'' से प्रभिन्नेत है, विधानसभा का प्रधिवेशन जो राज्यपाख द्वारा बुलाया जाय।
- (च) ''सदस्य'' से मिमिप्रेत है खन्यक्षा, उपान्यक्षा, मत्रो, उप मंत्री या वेतन भोगी संसदीय सचिव, विपक्ष के नेता से मन्यया विवानसभा का कोई सदस्य।
- (छ) "सम्र" से ग्रमिप्रेत है राज्यपाल द्वारा ग्राह्त विधानसभा की प्रथम बैठक से ग्रारम्भ होने वाली ग्रीर विधानसभा के बैठक की समाप्ति के दिन से खिनिदिचतकाल के लिए समाप्त होने वाली सम्पूर्ण ग्रविध ।
- (ज) "सामाग्य निवास स्थान" से भभिन्नेत:-
 - (क) भारखण्ड विद्यान-मण्डल के निर्वाचित सदस्य के लिए वह स्थान, जो उसके द्वारा नाम निर्देशन तक पत्र में उल्लिखित स्थायी पता संकित हो।
 - (ख) भारखण्ड विधान-मण्डल के मनोनीत सदस्य के लिए यह स्थान जदां की मतदाता सूची में उसका नाम हो।
- 3. सदस्यों का वेतन—प्रत्येक सदस्य 3 000/-(तीन हजार) रुपये प्रति माह को दर से वेतन, जो उसे उस बिन से प्राप्त होगा, जिस दिन वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाए, प्रयवा विधानसभा/ मण्डल में स्थान भरने के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य की दशा में उस तिथि से प्राप्त होग, जिस तिथि को उसे मनोनीता किया जाए, प्रथवा यदि ऐसी घोषणा या जो मनोनयन रिक्ति होने की तिथि से पूर्व किया गया हो, तो रिक्ति होने की तिथि से पाने का हकदार होगा।

ं परन्तु वेतन की श्रदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि कोई सदस्य श्रप्थ-ग्रहण न कर छेया भारतीय संविधान के अनुच्छेद-188 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर न कर दें:—

किन्तु यह कि धाम चुनाब के बाद गठित नई विधान-मण्डल के किसी सदस्य की दशा में वेतन का भुगतान केवल उस तारीख से किया जायेगा, जिस तारीख को सभा की प्रथम बैठक नियत की गई है।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य को भुगतेय वेतन अनुपस्थिति करने के लिए ऐसी कटौतियों का दायो होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम में उपवंधित किया जाय ।

परन्तु यह धौर भी कि जहां कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार प्रथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी प्रन्य स्थानीय प्राधिकार या प्रन्य प्राधिकार के खघीन या किसी व्यक्ति से प्रपने नेतन का हकदार हो भीर ऐसी सरकार निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या किसी व्यक्ति से वेतन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता हो, तो ।

- (क) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विश्विया अन्यथा के स्रश्लीन हकदार है, उस राशि के समान या उससे श्रविक हो, जिसका वह इस घारा के श्रधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।
- (स) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसी विधि या अन्यया के अवीन हकदार है, उस राशि से न्यून हो जिसका वह इस घारा के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन बेतन की उस राशि

का हकदार होगा, जो वेतन की उस राशि से कम है जिसका वह इस धारा के सभीन सन्यथा हकदार है।

- 4, सवारी भत्ता—प्रत्येक सदस्य को तीन सौ रुपये प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता दिया जायेगा, जिस वारीख को वह शपय ग्रहण करे, या धारा-3 में निर्दंब्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करे।
- 5. क्षेत्रीय भत्ता-प्रत्येक सदस्य के रूप में वापथ या प्रतिज्ञान करने की विधि से प्रतिमाह 4,000/-(चार हजार) रुपये क्षेत्रीय मत्ता पाने का हकदार होगा।
- 6. मोटरनाड़ो कय हेतु ऋण की सुविधा भारखंड विधान-मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटरगाड़ी क्रय हेतु गाड़ों के मूल्य की समतुल्य राशि धयबा खिकतम पांच लाख रुपये, जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा धवधारित नियम। बली में निहित शत्तों के ध्रवीन ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी जो सीधे गाड़ा के कम्पनी/डीखर को भुगतेय होगा। भुगतेय ऋण राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक न्यांच देय भुगतेय होगा।
- 7. पोस्टल, स्ट शनरी भीर कार्यालय ब्यय की सुविधा विधानसभा के प्रत्येक सदस्य की, सदस्य के रूप में श्वय या प्रतिज्ञान करने की विधि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के कम में पोस्टल, स्टेशनरी बीर कार्यालय ब्यय वहन करने के लिए 2,000/- (दो हजार) प्रतिमाह रूपये भुगतेय होगा।
- 8. सदस्यों का दैनिक एवं यात्रा भत्ता उन नियमों के अधान रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इसके लिए बनाये जायं:—
- (i) राज्य के ग्रन्तगंत निम्निखिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य हर निवास दिन या उसके किसी धंश के लिए प्रतिदिन 350/- (तीन सी पचास) रुपए की दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा:—
 - (क) यथास्थिति, विधान-सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए।
 स्पष्टीकरण इस निवास दिन में विधान-सभा का ग्रिधिवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व तथा
 समाप्त होने के बाद का ग्रिधिक से अधिक एक दिन के निवास की ग्रविध भी शामिल है,
 परन्तु इसके लिए सदस्य का प्रमाणित करना होगा कि वह उन दिनों उस स्थान पर उपस्थित
 था जहां ऐसे आधिवेशन हुए हो।
 - (स) विधान-सभा को समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनायें।

 स्पष्टोकरण—किसी तिथि की बैठक को समाप्ति पर सभा स्थल पर यदि कोई सदस्य आए,

 किन्तु सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके तो उनका उस दिन सभा-स्थल पर ठहरना सदन
 की बैठक में भाग लेने के लिए निवास नहीं माना जायगा, जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अन्यया

 पादेश न दिया जाय।
- (ii) (क) प्रत्येक सदस्य प्राम चृताव, मध्यावधि चृताव उपचृताव प्रथवा मनीतयन की दिशा में, विधान-सभा के प्रधिवेशन प्रथवा विधान-सभा के धन्य प्रधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त रेल यात्रा को दशा में प्रथम श्रेगी के किराए के ड्योड़ा भाड़ा तथा निजी कार से यात्रा को दशा में प्रात किलोमोटर पांच करए का दर से भील मत्ता एवं बस यात्रा को दशा में दुगुना बस भाड़ा पाने का हरूदार होगा।
 - (ख) प्रत्येक सदस्य विद्यान-सभा का प्रधिवेशन या विधान-सभा की समिति सथवा सदस्य के रूप में अपने कर्त्वयों से सम्बन्धित किसी सन्य कारोबार में, भाग लेने के निमित्त सपने सामान्य त्वाप स्थाग से उस स्थान तक जहां विधान-सभा की समिति की बैठक या सन्य कारोबार किया जाने वाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्य क यात्रा और ऐसे स्थान से सपने सामान्य निवास स्थान की वापसा यात्रा के लिए दैनिक भत्ता के अतिरिक्त कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा,

परन्तु, भीर कि, यदि हाई सदस्य उपवारा (ii) (ख) के प्रयोजनार्थ यात्रा करे, तो यह केवल निम्न का हकदार होगा:—

- (क) रेक द्वारा की गई हरेक थात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के किराए की बाधी रक्स की दर से प्रानुषंगिक खर्च (कार्ज),
- (ख) राज्य पय परिवहत सेवा की बसों द्वारा की गई हरेक बाजा के खिय निर्धारित बस बाड़े के समतुत्य प्रतिरिक्त राशि का प्रानुषंगिक सर्च,
- (ग) निजी कार से की गई यात्रा के बिए नियमानुसार नियौरित दर से ,

 परम्तु, भीर कि, ऐसे सबस्यों को जिनके पास निजी कार नहीं है, उन्हें देल हारा प्रथम भेगी
 का स्योदा रेल भाड़ा देय होगा,

 परन्तु यह भी, कि जहां कोई सदस्य घारा-8 के स्थोन नि:शुल्क यात्रा करता हो तो बहु कैवल
 विम्नलिखित का हकदार होगा:—
 - (क) प्रत्येक रेन यात्रा के लिए प्रथम अंगी के किराये की खाबी दर से प्रानुवंशिक माड़ा,
 - (ख) राज्य पथ परिषहन सेवा की बस द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के बिए प्रथम चेणी के राजपत्रित पदाधिकारियों को खनुमान्य दर से धानुषंगिक भाका।
- (iii) प्रश्येक सदस्य को राज्य के बाहर शब्यमन यात्रा के खिए 500/ (पांच सो) रुपमें दैनिक भत्ता धनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण----

- (i) राज्य के सन्दर सपने एक वर्ष के कार्यकास में स्विकतम 7 दिनों का दो बार स्थल अध्ययन-यात्रा माध्य होगा और सन्तराख 5 (पांच) माह से कम का नहीं होगा।
- (ii) राज्य के बाहर स्थल धध्ययन वर्ष में धिकताम 15 दिनों की धविध के लिए दो बार धनुमान्य होगा, परन्तु स्थल घड्ययन का धन्तराल 4 माह से कम का नहीं होगा।
- रेख या पथ परिवहन सेवा द्वारा निःशुल्क परिवहन—
 - (i) ऐसी वर्तों के ब्रधीन जो राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्वारित करे, धपने कर्तेन्यों के सम्बन्ध में घात्रा करने वाला प्रश्येक सदस्य धीर उसके साथ यात्रा करने वाला सहयात्री, धरि कोई हो, को रेखने कूपन उपबन्ध कराये जायेंगे: जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है—
 - (क) कारखण्ड राज्य के मीतर किसी स्थान या स्थानों पर सभी यात्रामों के लिए।
 - (ख) ऋारखण्ड राज्य के बाहर, किन्तु भारत के भीतर किसी स्वान या स्थानों की ऐसी बच्ययन यात्रामी के लिए प्रति नर्ष 1,50,000 (एक लाब, पवास हवार) किसीमीटर या उसके मूल्य के खिए रेखने कृपन विधा लायेगा।

स्पट्टोकरण-वर्ष से समित्रेत है 1 जून से सारम्भ होने वाली और 31 मई को समाप्त होने वाली कासाविध ।

- (ii) प्रश्येक सबस्य भीर उनके साथ यात्रा करने वाले सह्यात्री, यदि कोई हो, तो सहस्तांतरसीय पास उपलब्ध कराया जासेंगा, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों के सिवाए निगम के किसो मार्ग पर चलने वाली फारखण्ड राज्य प्रथ परिवहन निगम की किसी वस यात्रा से यात्रा करने के हककार होंगे।
- (iii) प्रत्येक सदस्य प्रपने साथ धपनी यात्रा के दौरान कारखण्ड राज्य के भीतर या बाहर किसी सहयात्री को धपने साथ ले जाने का हकदार होगा।
- (iv) कंडिया 9 (i) (ख) के भन्तगंत वैकल्पिक रूप से विहित राशि सीमा के समतुत्य राशि के ध्वान प्रत्येक सदस्य हुवाई जहाज का टिकट ऋय कर भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा।
- 10. कर्म्बूटर का प्रावधान-प्रश्येक सदस्य को नि:शुरूक कम्प्यूटर की सुविधा देव होगी जिल्ला मूस्य अधिकतन 75,000/ क्यं की सीया के अन्तर्गत होगा एवं सदस्यता सभाष्त होने पर उन्हें कम्ब्यूटर विधान-मण्डस को बायस कर देना होगा।

- 11. निजी सहायक का प्रावधान-प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की प्रविध पर्यन्त प्रधिकतम 3,500/-(तीन हजार, पांच सी) रुपये समेकित वेतन पर एक निजी सहायक की सुविधा धनुमान्य होगी। निजी सहायक की टंकन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का ज्ञान प्रावक्यक होगा।
- 12. विकित्सा भत्ता—भारखण्ड विधान-महत्त के प्रत्येक सदस्य को दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर हैं विकित्सा भत्ता का भुगतान देय होगा।
- 13. दूरमाण का प्रावधान—प्रत्येक सदस्य को उसके रांची स्थित धावास में दूरभाव उपलब्ध कराया आयोगा, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा घवधारित करे। प्रत्येक सदस्य को वर्ष में घिषकतम 50,000 स्थानीय काँन की मुक्त सुविधा अनुमान्य हीगी।
- 14. धवारी मला कीर प्रश्य भले —यदि कोई हो, स्टाफ कार, दूरमाव सम्बन्धी सुविधायें ग्रांदि ऐसी शलों के प्रश्नीन ग्रीर ऐसी दरों पर उपबन्ध करायी जायेंगी, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर नियमों हारा विधारित करे।

15. नियम दताने की शक्ति:---

- (i) राज्य तरकार राज्यत्र में श्राधसूचना द्वारा इस श्राधिनियम के उपवृत्यों को कार्योन्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।
- (ii) विशिष्टतः भीर पूर्ववर्ती सवितयों की व्यावकता पर प्रतिकृत प्रमाण हाले विना राज्य सरकार निव्नतिसित के अवधारण हेतु नियम बना सकेगी---
 - (क) ऐसी पढ़ित जिसके द्वारा बेतन एवं मत्ते की निकासी की जायेंगी तथा जिस रीति से घीर जिस रूप में ऐसे वेतन एवं मत्ते सम्बन्धी विषत्र तैयार किये जायेंगे, प्रतिहस्ताखरित किये जायेंगे भीर मुनाये जायेंगे,
 - (अ) भगातारं अनुपस्थिति भीर कटौती की सीमा, जो ऐंसी अनुपस्थिति के लिए सदस्यों के बेतन से की जायेगी,
 - (न) वह कालावधि जिसके दौरान और जिन शतों के धर्मान दैनिक और यात्रा मत्ते की निकासी की जायेगी तथा वह दर जिस वर से यात्रा मत्ते की निकासी की जायेगी।
 - (घ) जिन रियायती दरों पर सदस्यों द्वारा मकान माड़ा घटा किया जायेगा ।
 - (ङ) जिन शतों के प्रचीन और जिस रीति से रेल यात्रा अथवा राज्य पथ परिवहन सेवा के खिए सदस्यों को कूपन उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - (च) सदस्यों एवं उनके परिवार को चिकित्सा सुविधाओं एवं धन्य रियायतों की मंजूर करना।
 - (क) प्रत्येक सदस्य के सरकारी माबास पर दूरभाव स्थावित करना और उस पर उपगत व्यय माहि।
 - (ज) राज्य के भीतर एवं बाहर प्रवनी यात्रा के दौरान किसी सहयात्री को पवने साथ से जाने के लिए सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं को मंजूर कश्ना ।
- (iii) इस बारा के समीन बनाया गया प्रश्येक नियम इसके बनाये जाने के बाद यथाशक्य थील सन के बीरात राज्य विधान-सभा के समझ प्रस्तुत किया आयेगा, जिसकी कुल धविब 14 दिनों की हो, जो एक सन में जवबा दो खगातार सनों में समाविष्ट हो, भीर यदि सन की समाप्ति के पूर्व जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया हो, या इसके ठीक बाद बाले सन में, सदन नियम में उपान्तरण करने के लिए सहमत हो, प्रथवा सदन सहनत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्परचात् इस नियम का प्रभाव यथास्थिति केवल ऐसे उपान्तरित रूप में होगा, या इसका प्रभाव ही नहीं होगा फिर भी ऐसे उपान्तरण या बातिसीकरण उस नियम के प्रधीन पूर्व में की गयी किसो बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकृत प्रभाव ढाले बिना होगा।

- 16. इस प्रधिनियम के प्रधीन दिये गये वेतन या भत्ते की प्राप्ति से पेंशन का प्रधिकार प्रभावित नहीं होगा:— इस प्रधिनियम की कोई बात किसी वेतन या भत्ते, जिसका वह इस प्रधिनियम के प्रधीन हरूदार हो, पाने से निर्वारित नहीं करेगी।
- 17. विद्यान-सभा के सदस्यों का पेंशन:-
 - (i) वैसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसमे यथा स्थिति -
 - (क) कारखण्ड विधान-समा के सदस्य के इस्प में, या
 - (स) वैसा कोई व्यक्ति जो फारखण्ड विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, शपथ ग्रहण करने के बाद तीन हजार रुपये प्रतिमाह आजीवन पंरान पाने का हकदार होगा भीर वह प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर तीन सी रुपये प्रतिरिक्त पंरान पायेगा, पस्तु, ग्रह भी, कि विधान-मण्डल के किसी सदस्य की स्टर्स्यता अविध उसके ग्रथास्थिति निर्वाचित पा मनोनीत घेषित होने से लेकर विधान-मण्डल के भग होने तक, पर तु, राब्द्रपति द्वारा भग किये जाने या मच्यावधि चृनाव होने, या सदस्यता से त्यागपत्र देने, या सदस्य की मृत्य होने को छोड़ कर, की ग्रवधि यदि चार वर्ष छः माह हो तो बह ग्रवधि पंरान देने के प्रयोजनाय पाँच वर्षों की पूरी ग्रवधि के रूप में मानी जायेगी, पर तु यह ग्रीर भी, कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में (चाहे निरन्तर हो या नहीं) पाँच वर्ष को ग्रवधि से कम ग्रवधि के लिए कार्य किया हो, ग्रयने जीवन पर्यन्त एक वर्ष की ग्रवधि के लिए तीन सो रुपये प्रतिमाह तथा बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन सो रुपये प्रतिमाह तथा बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन सो रुपये प्रतिमाह तथा बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन सो रुपये प्रतिमाह तथा बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन सो रुपये प्रतिमाह तथा बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन सो रुपये प्रतिमाह तथा बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन सो रुपये प्रतिमाह तथा का हकदार होगा।
 - (ii) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (i) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, वह व्यक्ति-
 - (क) यदि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाता हो, धयवा किसी राज्य का राज्यकाल या सब राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जाता हो, या
 - (ख) संसद के किसी सदन का सदस्य बन जाता हो, प्रथवा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विघान-सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् का सदस्य बन जाता हो, या
 - (ग) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार घयवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाघीन निगम के खबीन सचेतन नियोजित हो घयवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार से कोई पारिश्रमिक पाने का खन्यया हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति उपधारा (i) के प्रधीन उस प्रविध के दौरान, जिसके दरम्यान वह ऐसा पद घारण किये रहता हो, या ऐसा सदस्य बना रहता हो, या इस प्रकार नियोजित रहता हो, या ऐसे पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहता है, ऐसी पँचन पाने का हकदार नहीं होगा। परन्तु, जहाँ ऐसे व्यक्ति को ऐसा पद घारण करने के लिए या ऐसा सदस्य होने के लिए या इस प्रकार नियोजित रहने के लिए वेतन भूगतेय हो प्रथवा जहाँ ऐसे व्यक्ति को खंड (iii) में निर्देश्ट पारिश्रमिक भूगतेय हो, के लिए दोनों मामले में बह व्यक्ति उपधारा (i) के प्रधीन उसे देय पंचन में से घटाकर उस उपधारा के प्रधीन पंचन के इन्दार होगा।
 - (iii) (क) अही ऐसी विधि के श्रधीन, या श्रन्थथा पेंशन की ऐसी रकम जिसे वह पाने का हकदार हो, वहाँ उपधारा (i) के अधीन उस रकम के बराबर या उससे अधिक हो, जिसको पाने का वह हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति उपधारा (i) के श्रधीन कोई पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा, श्रीर
 - (ख) जहां पेंशन को ऐसी रकम जिसे वह ऐसी विधि के ग्रधीन, या ग्रन्यवा पाने का हकदार हो, उस रकम से कम हो जिसे वह उपधारा (i) के ग्रधीन पाने का हकदार

हो तो ऐसा व्यक्ति उस उपधारा (i) के मधीन पेंशन की केवल ऐसी रकम पाने का हकदार होगा जो पेंशन की उस रकम से कम हो, जिसे वह उस उपधारा के मधीन मन्यथा पाने का हकदार हो;

परन्तु इसे श्रिवितयम के श्रिष्ठीन वर्तमान या भविष्य में राजनीतिक उपहुत (पोलिटिक स सफरर) पेंशन प्राप्त करने के कारण पूर्व विधायकों की अनुमान्य पेंशन से कोई कटौती नहीं की जायगी।

- (iv) अपवारा (i) के प्रयोजनार्भ वर्षों की यणना करते समय फारखण्ड मंत्री का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 में यथा परिभाषित मंत्री के इत्य में या फारखण्ड विधान-मंडल (पदा-धिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 में यथा उल्लिखित किसी पदाधिकारी भौर फारखण्ड विधान-मंडल (विपक्ष के नेता का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 यथा परिभाषित विपक्ष के नेता और वर्तमान अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार के अन्तर्गत संसदीय स्विव के इत्य में जिस खबिच में किसी क्यक्ति ने सेवा की हो, उस धविध की भी गणना की जायेगी।
- (v) वैसे प्रत्येक ब्यक्ति की उपधारा (i) के ध्रधीन, पेंशन पाने का हकदार हो, की मृत्यू के पश्चात् उसकी पत्नी/पित को धाजीवन पारिवारिक पेंशन नीचे प्रकित दर पर दिया जायेगा:— पेंशन की राशि का पचहत्तर प्रतिशत परिवारिक पेंशन देय होगा, परन्तु यह भी, कि उपधारा (ii) एवं (iii) के उपबंध एवं शत्तं मृत व्यक्ति की पत्नी/पित पर भी लागू होंगे, परन्तु, यह भी कि यदि पारिवारिक पेंशन पाने वाखा व्यक्ति ग्रगर शादी कर ले, तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा।
- (vi) वैसे प्रत्येक व्यक्तिको जो उपधारा (i) के प्रचीन पेंशन पाने का हकदार हो, राज्य के भीतर प्रति वर्ष 20,000 (बीस हजार) किलोमीटर प्रथम श्रेणी में रेजवे कूपन पर यात्रा कर सकेगा भीर राज्य के बाहर प्रति वर्ष 15,000 (पन्द्रह हजार) किलोमीटर रेल द्वारा प्रथम श्रेणी की यात्रा कूपन पर कर सकेगा।
- 18. पूर्व विवासकों की विकित्सा सुविधा—धारा-17 में उल्लिखित ऐसी पेंशनभोगी पूर्व विधायक धाजीवन निःशुल्क विकित्सा, परिवर्षा, दवाओं की अपूर्ति, अस्पतालों में भर्ती होने की सुविधा पाने का हकदार उस सीमा तक होगा, जैसा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों द्वारा धवधारित किया जाय।

भारसण्ड राज्यपाल के पादेश से, रामायण पाण्डेय, सरकार के सचिव ।